Need to provide compensation of land acquired for setting up power plant in Sidhi district, Madhya Pradesh as per the provisions contained in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

डॉ**.** राजेश मिश्रा **(**सीधी**) :** मेसर्स आर्यन पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पॉवर प्लांट स्थापित करने हेतु सीधी जिला (मध्य प्रदेश) के ग्राम मूसामूड़ी के 374 खातेदारों की निजी भूमि 87,334/-रुपये प्रति एकड़ की दर से अर्जित की गयी। इसी प्रकार ग्राम भुमका के 137 खातेदारों की निजी भूमि अर्जन 61,907/- रुपये प्रति एकड़ की दर से की गई। दोनों ग्रामों के कुल 511 खातेदारों की कुल 935.42 एकड़ एवं म.प्र. शासन की कुल 133.00 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया। खातेदारों और म.प्र. शासन की भूमि को मिला कर कुल 1068.42 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया, इस अर्जन को किये हुए 15 वर्ष हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि नया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि यदि अधिकतम किसानों ने मुआवजा राशि नहीं ली है तो अधिग्रहण की कार्रवाई पुनः नए कानून के अनुसार करनी होगी। नए क़ानून के प्रभावशील होने के दिन मूसामूडी एवं भुमका ग्राम के अधिग्रहण प्रभावित अधिकतम किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है। अतः नए कानून के अनुसार कार्यवाही की जाये। यदि उक्त कंपनी अपने वांछित उद्योग को स्थापित करने में असफल हो रही है तो किसानों को वह जमीन वापस दे दी जाए।